

जनपद बाराबंकी

दिनांक-21.03.2023

थाना रामसनेहीघाट पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म/हत्या करने वाले गिरोह के दूसरे शातिर अभियुक्त सुरेन्द्र को किया गया गिरफ्तार-

विगत वर्ष माह दिसम्बर में थाना रामसनेहीघाट क्षेत्र में घटित दो सनसनीखेज घटनाओं जिनमें वृद्ध महिलाओं को गांव से बाहर जंगल की तरफ शौच के लिए जाने पर उनकी हत्या करके बलात्कार किये जाने जैसे जघन्य घटनाएं कारित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त अमरेन्द्र को घटना कारित करते समय थाना क्षेत्र मवई जनपद अयोध्या में गिरफ्तार किया गया था जिसमें थाना क्षेत्र रामसनेहीघाट में हुई महिलाओं की हत्या करके बलात्कार किया जाना स्वीकार किया था। इस सम्बन्ध में थाना रामसनेहीघाट पर मु0अ0सं0 665/22 धारा 302/376 भादवि, मु0अ0सं0 686/2022 धारा 302 भा0द0वि0, मु0अ0सं0 30/2023 धारा 307/354ख/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। साक्ष्यों का गहराई से संकलन किये जाने के क्रम में सुरेन्द्र पुत्र राम औतार निवासी दयाराम पुरवा थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अखिलेश नारायण सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट श्री हर्षित चौहान के पर्यवेक्षण में थाना रामसनेहीघाट पुलिस टीम को लगाया गया। आज दिनांक-22.03.2023 को थाना रामसनेहीघाट पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले गिरोह के दूसरे अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र राम औतार निवासी दयाराम पुरवा थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी को हैदरगढ़ रोड पर दयाराम पुरवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

साक्ष्य संकलन एवं पूछताछ से प्रकाश में आया कि सुरेन्द्र और अमरेन्द्र दोनों भितरिया हैदरगढ़ रोड पर स्थित राइस मिल में साथ-साथ काम करते थे व दोनों में गहरी दोस्ती थी। अमरेन्द्र के सूरत जाने पर भी दोनों के बीच सम्पर्क में थे तथा इनके द्वारा अश्लील फिल्म देखने व संबंध बनाने हेतु महिलाओं की तलाश करने का बात भी प्रकाश में आई है। अमरेन्द्र के सूरत से वापस आने के बाद दोनों ने दिनांक- 05 दिसम्बर 2022 को ग्राम दयाराम पुरवा में एक वृद्ध महिला के साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति के आ जाने से वृद्धा की जान बच गयी और दोनों भाग गये। पीड़िता ने लोकलाज के डर से पुलिस में शिकायत नहीं की थी। जिसकी वजह से अमरेन्द्र और सुरेन्द्र के हौसले बढ़ गये और दिनांक- 17 दिसम्बर 2022 को दोनों ने ग्राम इब्राहिमाबाद में एक वृद्ध महिला की हत्या करके बलात्कार किया था तथा उसके 12 दिन बाद ग्राम ठठेरहा में दूसरी वृद्ध महिला के साथ भी हत्या करके बलात्कार किया गया था।

नाम पता अभियुक्त-

1. सुरेन्द्र पुत्र राम औतार नि0 ग्राम दयारामपुरवा थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी

अपराध का विवरण-

1. मु0अ0सं0 665/22 धारा 302/376 भादवि थाना रामसनेही घाट बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 686/2022 धारा 302 भा0द0वि0 थाना रामसनेही घाट बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 30/2023 धारा 307/354ख/506 भादवि थाना रामसनेही घाट बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री लालचन्द्र सरोज थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
2. का0 जितेन्द्र सिंह, का0 विपिन कुमार थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
3. का0 आनन्द कुमार, का0 सुजीत सिंह थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी